तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13.9.23	वकील अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्ट्स को रेस्पोंडेंट्स की तलबी हेतु बार-बार निर्देश दिये गये है लेकिन उनके द्वारा कोई भी सम्मन तलबाना आज तक पेश नहीं किया गया है और कोर्ट आदेशो की लगातार अवहेलना की गई है। अतः न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं किये जाने के कारण अपील खारिज की जाती है। अपील फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर